2.12.21 - पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प राजलोता में रखी गई। राज: पैरोकार ने जवाब पेश किया, जो शा० नि० रहे। उपस्थित पक्षों को सुना गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 24/2021

प्रार्थी – राजाराम पुत्र प्रहलादराम जाति ब्राम्हण निवासी मेहराणा तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी – तहसीलदार डेगाना जिला नागौर राज0

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री त्रिलोक शर्मा

दिनांक 02.12.2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी की सहखातेदारी दर्ज है जिनके पुराने खसरा नंबर 2 व 3 है। प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम है जो नाम इनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। प्रार्थी के पिता प्रहलादराम का देहान्त हुआ तब पुराने खसरा नंबर 2 व 3 जिनक नये खसरा नंबर 328, 329, 145, 24 का नामान्तकरण भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र प्रहलाद नामान्तकरण में गलत दर्ज हो गया। राजाराम पुत्र प्रहलादराम व रामगोपाल पुत्र प्रहलाद नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा खसरा की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को भूमि के विकास करवाने व ऋण आदि प्राप्त करने तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज किया जाता है तो किसी सहखातेदार व अन्य व्यक्ति को कोई हानि नहीं होने वाली है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहराणा के खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी के गलत नाम रामगोपाल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता प्रहलादराम का देहान्त होने पर इनके वारिसों के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 315 के द्वारा रामअवतार, रामगोपाल पि0 प्रहलाद कौम ब्राम्हण के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है जबकि ग्राम में इनको रामगोपाल व राजाराम दोनो नाम से पुकारते है। रामगोपाल व राजाराम नाम का एक ही व्यक्ति है। रामगोपाल के स्थान पर राजाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 कैम्प राजलोता में रखा गया। उपस्थित पक्षों को सुना गयाएवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी को पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। तहसीलदार डेगाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गांव में रामगोपाल व राजाराम दोनो नाम से जानते है तथा दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार डेगाना ने उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में रामगोपाल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर राजाराम पुत्र प्रहलादराम किये जाने की अनुशंषा की है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नंबर 328 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 329 रकबा 3.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 145 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 2.7400 हैक्टेयर की खातेदारी में दर्ज रामगोपाल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर राजाराम उर्फ रामगोपाल पुत्र प्रहलादराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां पूर्ववत्त रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना, (नागौर)

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)